रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 19, 1994/वैशाख 29, 1916
No. 249] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 19, 1994/VAISAKHA 29, 1916

वस्त्र मंत्रालय

पटसन आयुक्त का कार्यालय

अधिसूचना

कलकत्ता, 19 मई, 1994

का. आ. 381(अ)—पटसन (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1961 के खण्ड 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एस. एस. चट्टोपाध्याय, पटसन आयुक्त एतद् बी. ट्वील्स (एक प्रकार का पटसन वस्त्र) की साइज 112.4 सें. मीटर × 67.5 सें. मीटर साम्य वजन सिला किनारा 112.00 सें. मीटर एच. डी. 1020 ग्राम बोरा 6 × 8, 3-नीले शुष्क सिला है तथा अन्य दृष्टियों से वर्तमान भा. मा. (2566-1984 अद्यतन संशोधित) के अनुरूप है, अधिकतम बहिर्निर्माणी कीमत 1,654.04 रुपए प्रति एक सौ बोरे नियत करता हूं, इसी अधिकतम कीमत पर उसका क्रय अथवा विक्रय मई, 1994 के दौरान किया जाएगा ।

इस अधिसूचना के अधीन नियत की गई एक मात्र कीमत उत्पादन शुल्क उपकर जो पटसन निर्माण अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत देय होगी, विक्रय कर जो क्रेता का वास्तविक खर्च के अनुसार बहिर्निर्माणी कीमत के अतिरिक्त देना होगा।

[फाइल सं. 8(1)/94-जूट]

एस. एस. चट्टोपाध्याय, पटसन आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES

OFFICE OF THE JUTE COMMISSIONER

NOTIFICATION

Caluctta, the 19th May, 1994

S.O 381(E).—In exercise of the powers conferred by Clause 8 of the Jute (Licensing and Control) Order, 1961, I, S. S. Chattopadhyay, Jute Commissioner hereby fix Rs. 1,654.04 per 100 bags as the maximum ex-factory price at which B. Twills (a variety of Jute Textiles) of the size 112.4 cms X 67.5 cms. Hd. W.I.P. 112 cms. Hd. 1020 gms. per bag 6 X 8, 3 blue dry sewn and conforming in all other respects to the current ISI Specification (No. IS : 2566-1984 as amended up to date) shall be purchased or sold during the month of May, 1994.

2. The price fixed under this Notification shall be exclusive of duty of excise, cess payable under Jute Manufactures Cess Act, 1983 and sale tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser at actuals.

[F. No. 8(1)/94-Jute]

S. S. CHATTOPADHYAY, Jute Commissioner